रेवड़या बनाम लल्लू

प्रकरण स0--03/2020

अपील नामान्तकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान आराजी ख0 न0 1671 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला–दौसा में स्थित है। उक्त भूमि वर्तमान में रेस्पोडेन्ट स.01 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त कर लाभान्वित होता आ रहा हैं उक्त भूमि की खातेदारी पूर्व में अपीलांट के नाम दर्ज थी तथा सम्वत् 2022 की खतौनी में भी अपीलांट का नाम दर्ज खातेदारी के समय से ही उक्त भूमि पर काश्त कर रहा हैं लेकिन हल्का एवं ग्राम पंचायत डिडवाना द्वारा बिना जांच किये बगैर तथा अपीलांट को कोई सूचना या सुनवाई का अवसर दिये बगैर उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट स.01 के पिता रामप्रताप के नाम सरासर गलत तौर पर तस्दीक फरमाया है। जो कि अपीलांट की कृषि भूमि को रेस्पोडेन्ट स.01 के पिता के नाम धारा 16 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण को जरिये खातेदारी में लगा दी जिससे अपीलांट काफी व्यथित हैं एवं निम्न सुदृढ. आधारो पर अपील अपीलांट पेश है।

उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 238 दिनांक 27.04.1960 सरासर विधिक तथ्यों एवं प्रकिया के विपरीत होने की वजह से काबिल निरस्तनीय हैं।

उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण की अपीलांट को पूर्व में जानकारी नहीं थी दिनांक 24.02.2020 को अपनीलांट उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण में दर्ज आराजी कृषि भूमि में कृषि कार्य कर रहे थे तभी ही रेस्पोडेन्ट स.01 अपने साथ लाये दीगर व्यक्तियों को उक्त कृषि भूमि दिखाने लग गया। जब अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट सं01 से पूछा कि तुम क्या कर रहो तो रेस्पोडेन्ट सं01 ने कहां कि इस जमीन को मेरे पिता रामप्रताप ने सरपंच डिडवाना व पटवारी हल्का से साजकर नामान्करण अपने नाम खुलवा लिया था इसके बाद उक्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड में नुमाईशी रूप से मेरे नाम दर्ज हैं तथा अब मेरे नाम लगी जमीन का बेचान हमारे साथ आये हुये इन लोगो को करेंगं। तब अपीलांट पटवारी हल्का के पास जानकारी लेने गये तब सर्वप्रथम उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी अपीलांट को हुई जिस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 02.03.2020 को ही उक्त नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति पटवारी हल्का से प्राप्त की गई। जिससे उक्त अपील अपीलांट्स अंदर मियाद पेश है। फिर रफाये

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0

हुज्जत दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से अपील के साथ पेश है।

तथपश्चात प्रकरण दर्ज किया जाकर तलवी रेस्पोडेन्ट की गयी जिसपर रेस्पोडेन्ट स.01 से श्री के.के सैनी उपस्थित हुआ व प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई व आपत्ती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अंकित किया की अपीलांट की ओर से 03.03.2020 को ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट के नामान्तकरण संख्या 238 दिनांक 27.04.1960 के विरूद्ध पेश की गयी है जिसमें प्रश्नगत नामान्तकरण को अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत डिडवाना द्वारा स्वीकृत करने का कथन किया गया है। प्रश्नगत नामान्तकरण पर गोर किया जावे तो उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत डिडवाना के सरपंच द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। बल्कि तहसीलदार लालसोट द्वारा स्वीकृत किया गया है। विधि अनुसार उक्त नामान्तकरण की शीर्षक अपील का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय हासिल नहीं है तथा रा0 भू0 रा0(लैण्ड रेवेन्यू) अधि. की धारा 75 के प्रावधानुसार तहसीलदार के आदेश की अपील मान्य न्यायालय को सुनवाई का अधिकार क्षेत्र हासिल नहीं होकर अति0 जिला मजिस्ट्रेट को है अतएव शीर्षक अपील इसी स्तर पर काबिले खारीज योग्य है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण याचिका की प्रति पेश की गई जिसमें सुनवाइ पर रोक होने का कोई आदेश नहीं है विधि के सुस्थापित सिद्धांत अनुसार स्थानानान्तरण याचिका मे जब तक कार्यवाही पर रोक के आदेश न हो तब तक कार्यवाही रोकने हेतु पीठासीन अधिकारी प्रतिबन्धित नहीं है। साथ ही सन्दर्भित स्था0 याचीका में पीठासीन अधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

दौराने बहस उभयपक्षकारान ने निम्न नजीरे अपने अपने समर्थन में प्रस्तुत की वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर आर.आर.टी 2001(01) व रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत नजीरे न्यायायिक दृष्टांत 2011(2) सी.सी.सी. पेज 599 (एस.सी) ,2018(2) सी.जे.(सिविल) (राज.) पेज 938, 1995(2) आर.बी.जे. (आर.बी) पेज 49 प्रस्तुत किये गये ।

हमने बहस उभयपक्षकारान की सूनी गई पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का मनन किया एवं प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्ती अपील का भी अवलोकन किया एवं प्रस्तुत नजीरो का भी अवलोकन किया जिससे प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट लल्लू प्रसाद की ओर से प्रारम्भिक आपत्ती स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है नामान्तरण अपील इसी स्तर पर अस्वीकार कर खारीज योग्य है ।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

आदेश

अतः रेस्पोडेन्ट लल्लू प्रसाद की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट रेवड्या की ओर से शीर्षक अपील नामान्तकरण संख्या 238 दिनांक 27–04–1960 ग्राम डिडवाना अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा पूर्व में जारी स्थगन आदेश भी खारिज किया जाता है खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगें।

गोपाल जागिड (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट
जिला दौसा(राज0)

निर्णय आज दिनांक– 03/11/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद दफ्तर दाखिल हो।

गोपाल जागिड (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट
जिला दौसा(राज0)